

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी – सीता शर्मा आर.ए.एस

मैनुयल केस न :- RA/2019/18

पोर्टल केस न :- 2019/00012

1. भंवराराम पुत्र श्री आशाराम जाति जाट साकिन 6 एसएलडी शेरपुरा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. हड़मान पुत्र श्री चन्दाराम जाति जाट साकिन 7 एसएलडी शेरपुरा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

वादीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व, छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत शेरपुरा पंचायत समिती लूणकरनसर जिला बीकानेर।

प्रतिवादी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

उपस्थिती – वादी वकील एवं वादी स्वयं अनुपस्थित

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील अनुपस्थित। पत्रावली के सलंग्न वाद फैसल हो चुका है एवं प्रार्थना पत्र को आगे चलाया जाना उचित नहीं है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायरा नम्बर से कम शुमार होकर दाखिल दफतर हों।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीता शर्मा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छत्तरगढ़(बीकानेर)

